संख्या-1/2023/ ई-10- ।/296220 /दस-2023-10-10099/22/2022

प्रेषक,

नील रतन कुमार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।

(2) समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव उ0प्र0 शासन।

(3) समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष उ0प्र0, लखनऊ

वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10 **लखनऊ: दिनांक:** 30 **मार्च, 2023**

विषय:- विभागों द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड को विद्युत देयों का केन्द्रीयकृत भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या- 1/2022/ई-10-162757/दस-2022-10-10099/22/2022, दिनांक 05 मई, 2022 एवं ई-10-।/197718/2022, दिनांक 03-08-2022 के क्रम में कतिपय प्रशासकीय विभागों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उनसे संबधित कतिपय अनुदान संख्या के अधीन मुख्यालय अधिष्ठान की व्यवस्था नहीं होने के कारण उक्त शासनादेश की व्यवस्थानुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को मानक मद –"09-विद्युत देय" की मद में व्यवस्थित धनराशि का केन्द्रीयकृत भुगतान संभव नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार कुछ विभागों में कतिपय अधिष्ठानों के लिये बजट व्यवस्था अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत करायी गयी है जिसके आहरण का अधिकार मुख्यालय के आहरण एवं वितरण अधिकारियों को नही है। इन प्रकरणों में केन्द्रीयकृत भुगतान की व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही संभव नहीं हो पा रही है।

2- अत: उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तर-1 में उल्लिखित प्रकरणों में केन्द्रीयकृत भुगतान की व्यवस्था लागू होने के पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अनुसार विभिन्न कार्यालयों द्वारा विद्युत बिलों का भुगतान मानक मद- "09 विद्युत देय" में आंवटित धनराशि से संबंधित विद्युत वितरण निगम की संबंधित इकाई को किया जायेगा।

3- उक्त के अतिरिक्त कतिपय विभागों के कार्यालय किराये के भवनों में चल रहे है, जिनमें विद्युत संयोजन भवन स्वामी के नाम है। ऐसे मामलों में संबंधित कार्यालय द्वारा विद्युत बिल का भुगतान भवन स्वामी को किया जायेगा।

4- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नील रतन कुमार)

विशेष सचिव।

संख्या ई-10- /दस-2023-दिनांक तदैव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

(2) अध्यक्ष, उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

(3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।

(4) प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/ पश्चिमांचल/मध्यांचल/ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।

(5) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) समस्त वित्त नियंत्रक, उ0प्र0।

(7) समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0प्र0।

(8) समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

(9) वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के समस्त विशेष सचिव।

(10) वित्त विभाग के समस्त व्यय नियंत्रण अनुभाग।

(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।